



## -:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.02.2025

### कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- क्रूरतापूर्वक वाहन में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर ले जाते समय 03 अभियुक्तों को थाना गिरवां पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- एक ट्रक (कन्टेनर) में 37 भैंसे व 13 पड़वा लेकर जा रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान गिरवां तिराहे के पास से किया गया गिरफ्तार।

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अम्बुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 15.02.2025 को डायल यूपी-112 की सूचना पर थाना गिरवां पुलिस द्वारा गिरवां तिराहे के पास से एक कन्टेनर में क्रूरतापूर्वक 50 बेजुबान जानवरों को भरकर ले जा रहे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना गिरवां में अभियोग पंजीकृत किया गया।

#### **बरामदगी-**

- 37 नग भैंसे व 13 नग पड़वा
- 01 अदक कन्टेनर (परिवहन में प्रयुक्त)

#### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. आश मोहम्मद पुत्र इसरार निवासी लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. जिब्बू उर्फ कलीम पुत्र मो० असगर निवासी मण्डी मरा टेकरी थाना हनुमान ताल जनपद जबलपुर।
3. आजाद पुत्र अयूब निवासी पठेड थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

#### **पंजीकृत अभियोग-**

- मु०अ०सं० 41/25 धारा 11(1)(डी) पशु क्रूरता निवारण अधि० 1960 थाना गिरवां जनपद बांदा।

#### **गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ०नि० श्री सतीशचन्द्र
2. उ०नि० श्री परमानन्द
3. का० प्रदीप कुमार मिश्रा